संख्या-05/2024/I/502348/38-4099(99)/129/2023

प्रेषक,

सत्य प्रकाश उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 22 फरवरी, 2024

विषयः-मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देशों में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1767/ग्रा0आ0अनु0/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/जांच/2023-24, दिनांक-29.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक-02.02.2018 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-3.4 में JAPANESE ENCEPHALITIS (जे0ई0)/ए0ई0एस0/कुष्ठ रोग से प्रभावित एवं दिव्यांगजन व्यक्तियों के साथ पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला (आयु 18 से 40 वर्ष) को पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित किये जाने एवं दिव्यांगजन श्रेणी के संबंध में कतिपय प्राविधान जोड़े जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक 02.02.2018, सपठित शासनादेश संख्या-04/2019/80/38-4-19-123(विविध)/2017, दिनांक-04.02.2019, सपठित शासनादेश संख्या-09/2021/150/38-4-21-123(विविध)/2017 टी0सी0-1, दिनांक 18.03.2021, सपठित शासनादेश संख्या-19/2021/240/38-4-2021-123(विविध)/2017 टी0सी0-1, दिनांक 25.06.2021, सपठित शासनादेश संख्या-44/2021/671/38-4-2021-123(विविध)/2017, दिनांक-27.12.2021, सपठित शासनादेश संख्या-16/2022/225/38-4-22-123(विविध)/2017 टी0सी0-1, दिनांक-20.09.2022, सपठित शासनादेश संख्या-11/2023/114/38-4-23-123(विविध)/2017 टी0सी0-1, दिनांक 11.04.2023 एवं सपठित शासनादेश संख्या-31/2023/I/429039/38-4099(99)/129/2023, दिनांक-17.11.2023 द्वारा कतिपय वर्ग/समुदाय/जातियों/जनजातियों को योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता की विभिन्न प्राथमिकता श्रेणियों में सम्मिलित किया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त शासनादेशों के क्रम में मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक-02.02.2018 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-3.4 में निर्धारित पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में **पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला(आयु 18 वर्ष से 40**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://sharanadesh.up.gov.in

वर्ष) को सम्मिलित किये जाने एवं दिव्यांगजन श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित प्राविधान जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है-

"यदि परिवार में एक से अधिक दिव्यांग व्यक्ति हो तो, ऐसे परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वरीयता दी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि जनपद को आवंटित लक्ष्य से अधिक पात्र दिव्यांगजन हैं, तो जनपद द्वारा निर्धनतम दिव्यांगजन को प्राथमिकता दी जायेगी।"

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सत्य प्रकाश उपाध्याय,
विशेष सचिव।

संख्या-05/2024/1/502348(1), तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
(2) निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0प्र0।
(3) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0
(4) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(5) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(9) समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
(10) समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम विकास अभिकरण, उ0प्र0।
(11) निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0।
(12) समस्त अनुभाग, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमाकान्त सिंह,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।